भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2472
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

क्षेत्रीय परिषदों की बैठक

2472. डॉ. संबित पात्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के उद्देश्य क्या थे;
(ख) क्या राज्य सरकारें और केन्द्रीय मंत्रालय और विभाग क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों के लिए कार्य-सूची की मदों का प्रस्ताव करते हैं; और
(ग) यदि हां, तो क्या बैठकों की कार्य-सूची पर निर्णय लेने से पहले विस्तृत चर्चा की जाती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 21(1) के अनुसार, क्षेत्रीय परिषदें ऐसे विषय पर विचार-विमर्श कर सकती हैं जिसमें उस परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों में से कुछ या सभी राज्यों का, अथवा संघ का तथा उस परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों में से एक या अधिक राज्यों का, सामान्य हित है और वह केन्द्र सरकार को और संबन्धित प्रत्येक राज्य सरकार को उस कार्रवाई के बाबत परामर्श देगी जो किसी ऐसे विषय में की जानी चाहिए।

(ख) और (ग): हाँ, महोदय। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कार्य-सूची की मदों पर सूचित चर्चाएं आयोजित की जाती हैं।

*****